पत्रावली वास्ते निर्णय दि 16.5.25 को पेश हो।

16.5.25 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप.। बाद वादी का दावा स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुना-पढ़ा. किया गया। बाद फाईनल डिक्री किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रकरण संख्या : 19 / 2014 तारीख दायरा 23.12.2014

उनवान

रशीदन पत्नी हुसैन मोहम्मद उम्र 42 वर्ष जाति पिंजारा मुसलमान निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां।

—वादीनी—

बनाम

1 हलीम वलद ख्वाजू खां उम्र 36 वर्ष जाति पिंजारा मुरौंलगान तहसील खानपुर जिला झालावाड निवासी चांदखेडी

2. सलीम वल्द ख्वाजू खा उम्र उवर्ष जाति पिंजारा रोड खानपुर जिला झालावाड सारोला

3. रहमत पुत्री ख्वाज खा पत्नी यासीन जाति मुसलमान पिंजारा निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील जिला कोटा

4. रशीदन पुत्री ख्वाजू खा पत्नी मदार बख्श जाति मुसलमान पिंजारा निवासी खानपुर तहसील खानपुरल

5. शकूरन पुत्री ख्वाजू खां पत्नी खवाजू खां जाति मुसलमान पिंजारा निवासी सारोला रोड खानपुर तहसील खानपुर

6. दी स्टेट आफ राजस्थान जयें तहसीलदार, सांगोद।

— प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 88,92 ए आर टी एक्ट

उपस्थित :— दिनांक :—16/5/2025

श्री अब्दुल वहीद अंसारी (वकील वादी).

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :—

➢ यह कि ग्राम राजगढ तहसील सागोद में खसरा नं0 754, की 0,72 हेक्टर भूमि खातेदार ख्वाजू पुत्र ईलाहीबख्श जाति मुसलमान निवासी ग्राम राजगढ के नाम से दर्ज खाते है, खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल मे उक्त खसरा नम्बर की

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

बख्शीशनामा वादनी के हक में तहरीर कर दिया था तथा कब्जा आराजी वादिनी को संभला दिया था तब से वादिनी कब्जे काश्त में चली आ रही है।

- यह कि खातेदार ख्वाजू द्वारा एक बख्शीश नामा दिनांक 7.3.2002 को वादिनी के नाम तहरीर करके कब्जा स्वरूप मजाहमत खसरा नं० 754 की 0.72 हेक्टर भूमि पर संभला दिया था, तब से वादनी कब्जे काश्त में है, तथा आज भी उक्त खसरा नम्बर की भूमि को वादिनी ही बतौर खातेदार काश्तकार काश्त कर रही है खातेदार का इन्तकाल सन् 2005 में हो चुका है।
- यह कि प्रतिवादीगण 1 ता5 मृतक ख्वाजू के वारिसान है तथा उक्त आराजी पर अपना हक व अधिकार उसके मरने के बाद से जताने लगे है, जबकि वादनी द्वारा उक्त खसरा नम्बर को सन् 2002 से काश्त कर रही है, इस बात का इल्म भी प्रतिवादीगण को है, लेकिन प्रतिवादीगण अब उक्त आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू हो रहे है।
- यह कि वादनी पटवारी हल्का राजगढ़ के पास बख्शीशनाने के आधार पर मृतक ख्वाजू के स्थान पर अपना नाम दर्ज इन्तकाल करवाने गई, तो उसके द्वारा इन्तकाल न खोलकर अदालत में कार्यवाही कैरने को कहा है, तथा प्रतिवादीगण भी उक्त खसरा नम्बर पर अपना इन्तकाल खुलवाकर इसे बेचान करने पर आमादा है, तथा धमकी दे रहे है कि उक्त आराजी को बेचान व खुर्द बुर्द करके रहेंगे।
- यह कि वादनी के लिए आवश्यक हो गया है, कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर बख्शीशनामे के आधार पर अपने को खातेदार घोषित करावे, तथा आराजी को बदस्तूर कब्जा काश्त रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करावे।
- यह कि प्रतिवादी कम 1 ता 5 द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर इन्तकाल खुलवाकर अपना नाम दर्ज करवा लिया, तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि को रहन बैय, दान अथवा अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द कर दिया, तो वादनी को अपरिमित क्षति होगी, तथा बेकार की मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा।
- यह कि प्रतिवादी न06 लेण्ड होल्डर होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

- यह कि वादनी को वाद कारण बख्शीशनामे के आधार पर खसरा न0 754 की 0.72 हेक्टर पर नामान्तरण न खोलने तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने हेतु धमकी देने पर माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न हुआ है।
- यह कि आराजी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद मे स्थित होने के कारण उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- यह कि बाद का मूल्यांकन वास्ते घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 2000रू निर्धारित किया जाकर उचित न्यायशुल्क 2 रू पर पेश है।
- अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादनी के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावे :–

1. यह कि ग्राम राजगढ तहसील सांगोद की खसरा न0 754 की 0.72 हेक्टर भूमि का वादनी को खातेदार घोषित किया जावे।
2. यह कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज नही किया जावे, तथा दौराने दावा इन्तकाल खोल दिया जावे, तो प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमावे, कि वे उक्त खसरा नम्बर 754 की 0.72 हेक्टर की आराजी को रहन बैय, दान अथवा किसी भी प्रकार से खुर्दबुर्द नही करे, और वादनी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मदाखलत मजामहत स्वयं न करे, और न ही अपने किन्ही नौकरो व एजेन्टो से करावे।

प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 वादी के वादपत्र का निम्नलिखित जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, संक्षेप में जवाब दावे के तथ्य इस प्रकार है :–

- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 754 रकबा 0.72 हैक्टर आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं 1 लगायत 5 के खाते दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के पूर्वखातेदार अर्थात प्रतिवादी के 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय श्री ख्वाजू पुत्र इलाहीबक्श द्वारा कभी भी वादीनी के पक्ष में बख्शीश नहीं की थी, न ही बख्शीशनामा तहरीर किया। कब्जा आराजी भी वादीनी को नहीं समलाया गया। तथाकथित तहरीर हम प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 के खाते एवं कब्जेकाश्त की वादग्रस्त आराजी को हडपने की नियत से वादीनी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

फर्जी तरीके से कूटरचित की गई है जो अपंजीकृत व अमुद्रांकित होने से कानूनन साक्ष्य में सामान्तरिक प्रयोजन हेतु भी ग्राह्य नहीं होने से वाद वादीनी मेन्टेनेबल नहीं है व काबिल खारिज है। वादग्रस्त आराजी हम प्रतिवादी क 1 लगायत 5 के तन्हा खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी है जिसमे वादीनी को किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं होते है।

- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 जिस रूप में लिखी गई है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी क 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय ख्वाजू जी द्वारा वादीनी के पक्ष में कभी कोई बख्शीशनामा तहरीर नहीं किया। न ही उनके आराजी का कब्जा वादीनी को समलाया गया। वास्तविकता यह है कि हम प्रतिवादी क 1 लगायत 5 के खाते एवं कब्जेकाश्त की वादग्रस्त आराजी को हड़पने की नियत से वादीनी व उसके पति ने गवाहो से षड़यन्त्र करके स्वर्गीय ख्वाजू जी की मौत के काफी वर्षों बाद कागज पर तथाकथित फर्जी तहरीर की कूटरचना की है तथा अब ख्वाजू जी की मृत्यु के करीबन 10वर्ष बाद उक्त फर्जी तहरीर के आधार पर वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है। यदि उक्त तहरीर ख्वाजू जी द्वारा की गई होती तो ख्वाजू जी के जीवनकाल में वादीनी ने क्योंकर वाद पेश नहीं किया। वादीनी द्वारा वाद में कभी भी अंकित नहीं किया कि ऐसी कैसी विषम परिस्थितियाँ रही कि वादीनी स्टाम्प पेपर पर लिखावट नहीं करवा सकी व क्योंकर दस्तावेज का पंजीयन नहीं करवा सकी। मात्र आराजी को हड़पने की नियत से सादा कागज पर तहरीर किये गये कूटरचित दस्तावेज से वादिनी को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जा सकती। रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त सादा तहरीर कॉलेटरल परपज के लिए भी साक्ष्य में ग्रहणीय नहीं है व पढने योग्य नहीं है जिसके आधार पर वादीनी को किसी प्रकार की राहत इस न्यायालय से प्राप्त नहीं हो सकती है। वादीनी यदि उक्त दस्तावेज के आधार पर कोई राहत प्राप्त करना चाहती है तो उसे दस्तावेज को सक्षम कार्यालय में प्रस्तुत कर पूर्णमुद्रांकित करवाकर सक्षम सिविल न्यायालय से उक्त दस्तावेज के विशिष्ट अनुपालन हेतु वाद पेश कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 स्वर्गीय ख्वाजू के विधिक वारिस होना स्वीकार है। शेष मद झूठे व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी है जिसमें प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में वादीनी को किसी प्रकार से मदाखलत–मजामहत, क्षति, हस्तक्षेप कारित करने का कोई अधिकार नही है।
- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 4 नितान्त झूठे व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नही है। प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं जिन्हे बतौर खातेदार अपने खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी का बहैसियत मालिक उपयोग–उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है जिसमें न तो वादीनी को किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने का अधिकार है, न ही वादीनी को किसी प्रकार की क्षति की संभावना है।
- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 5 नितान्त झूठे व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अनरजिस्टर्ड, अनस्टाम्पित कूटरचित तहरीर के आधार पर वादीनी को वास्तविक स्वामी के विरुद्ध किसी प्रकार के हक पैदा नहीं होते हैं तथा कानूनन वास्तविक स्वामी एवं खातेदार टीनेन्ट के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वादीनी द्वारा नितान्त झूठें व मनगढन्त तथ्यों को आधार बनाकर मात्र प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 को रंजिशवश परेशान करने की नियत से वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजा है।
- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 6 स्वीकार नहीं है। दावा दायरी से पूर्व से ही प्रतिवादी कं 1 लगायत 5 वादग्रस्त आराजी की खातेदार टीनेन्ट हैं जिन्हे अपने खाते एवं कब्जेकाश्त की वादग्रस्त आराजी का बहैसियत मालिक उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है जिससे वादीनी के हितों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता है एवं वादीनी को किसी प्रकार की क्षति की संभावना नहीं है। वादीनी वाद की आड में प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी पर कब्जा करना चाहती है जिसमें यदि वादीनी सफल हो गई तो हम खातेदार टीनेंट्स को

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

अपने खाते एवं कब्जे की आराजी के अनावश्यक उपयोग से वंचित होना पड़ेगा जिससे प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 6 को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी।

- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 7 कानूनी है।
- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 8 वादीनी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होने से स्वीकार नहीं है। वादीनी ने द्वारा यह भी अंकित नहीं किया कि किस तिथी को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी गई या किसी तिथी को वादकारण उत्पन्न हुआ।
- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 9 स्वीकार नहीं है। वादीनी को अरजिस्टर्ड, अनस्टाम्पित तहरीर को पूर्णमुद्रांकित करवाकर सक्षम सिविल न्यायालय से विशिष्ट अनुपालना हेतु वाद दायर करना चाहिए था। दावा वादीनी कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है।
- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 10 स्वीकार नहीं है।
- जवाबदावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :-

1. आया वादग्रस्त आराजी ख0नं0 764 रकबा 0.72 हेक्टर खातेदार ख्वाजू पुत्र इलाहीबक्श द्वारा बक्शीनामा दिनांक 07.03.2002 से वादिनी को बक्शीश कर कब्जा मय मवाहन वादिनी को संभला दिया था। — वादिनी —
2. आया वादिनी बक्शीशनामा दिनांक 07.03.2002 के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित करवाने की अधिकारी है। — वादिनी —
3. आया तथाकथित बक्शीशनामा फर्जी, कूटरचित होकर अनस्टाम्पित और अनरजिस्टर्ड होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, जिससे दावा मेनेन्टेनेबल नहीं है। — प्रतिवादी—
4. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 01 ता 6 के खाते एवं कब्जेकाश्त की होने से प्रतिवादी कम 01 ता 6 बहैसियत मालिक उपयोग–उपभोग करने के उत्तराधिकारी है। — प्रतिवादी —
5. आया वास्तविक स्वामी एवं खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। — प्रतिवादी —

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में वादी के पक्ष में प्रस्तुत शपथ पत्र पी०डब्लू० 01, पी०डब्लू० 02, पी०डब्लू० 03 प्रस्तुत किए गए जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि –

➤ वादिनी को ख०नं० 754 की 0.72 है० भूमि पूर्व खातेदार ख्वाजू द्वारा बख्शीश में दिनांक 07.03.2002 को मिली थी तथा वादिनी को कब्जा संभला दिया गया था तथा तब से आदिनांक तक वादिनी के कब्जे काश्त में है।प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बख्शीशनामे को फर्जी व कूटरचित बताया है तथा बख्शीशनामा के दस्तावेज को अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पित होने से साक्ष्य में ग्राहय योग्य नहीं मानना बताया है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बख्शीशनामा का लिखित या रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है। तथा उक्त दस्तावेजों को सिर्फ कहने मात्र से फर्जी नहीं मान लिया जावेगा। प्रतिवादीगण को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर बख्शीशनामा को अवैध घोषित करना पडेगा, जो प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है।

तत्पश्चात् अप्रार्थी प्रतिवादीगण अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि –

➤ प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय श्री ख्वाजू पुत्र इलाहीबख्श द्वारा कभी भी वादीनी के पक्ष में बख्शीश नहीं की थी, न ही बख्शीशनामा तहरीर किया। कब्जा आराजी भी वादीनी को नहीं समलाया गया। तथाकथित तहरीर हम प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 के खाते एवं कब्जेकाश्त की वादग्रस्त आराजी को हडपने की नियत से वादीनी द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित की गई है जो अनस्टाम्पित व अनरजिस्टर्ड होने से कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से दावा वादीनी मेन्टेनेबल नहीं है व काबिल खारिज है।

➤ वादीनी को अरजिस्टर्ड, अनस्टाम्पित तहरीर को पूर्णमुद्रांकित करवाकर सक्षम सिविल न्यायालय से विशिष्ट अनुपालना हेतु वाद दायर करना चाहिए था। दावा वादीनी कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है।

➤ न्यायालय द्वारा 24.11.20 को बक्शीशनामा को अनरजिस्टर्ड होने से प्रदर्श अंकित करने से इनकार किया है, इस कारण वाद वादीनी खारिज योग्य है।

अधिवक्ता वादीनी द्वारा प्रतिवादी की बहस के रिपीटल में पुनः निम्न कथन किये गये –

➤ न्यायालय द्वारा बक्शीशनामा को प्रदर्श अंकित करने से इनकार किये जाने की दशा में ही मुस्लिम पर्सनल लॉ यह सुविधा देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

बक्शीश/दान/हिबा कर सकता है तथा उसका पंजीकृत दस्तावेज होना अनिवार्य नहीं है।

- पीडब्ल्यू–2 नजीर द्वारा अपने बयान के दौरान भी यह स्वीकार किया गया है कि वादिनी को विवादित आराजीयात बक्शीश में मिली थी, पीडब्ल्यू–3 सत्तार मोहम्मद द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया है कि मृतक ख्वाजु के कहने पर उसके स्वयं द्वारा हिबा/बक्शीशनामा लिखा गया था, हिबा में स्वीदन को भूमि संभलाई गई थी, जो लिखा उस पर विवाद नहीं रहेगा तथा कब्जा स्वीदन का रहेगा। अगर बक्शीशनामे के दस्तावेज को अपठनीय मान भी लिया हो तो वादिनी द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि विवादित आराजी को पूर्व खातेदार ख्वाजु द्वारा दिनांक 07.03.2002 को बक्शीश में दिया गया व वादिनी द्वारा स्वीकार कर कब्जे में ले लिया गया।
- न्यायालय द्वारा दस्तावेज को प्रदर्श अंकित नहीं करने के निर्णय के बाद उक्त दस्तावेज के बारे में किसी भी तथ्य का खंडन करना आवश्यक नहीं है।
- मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए हिबा/बक्शीशनामा के घटक जानने आवश्यक है तथा गुणावगुण के आधार पर निर्णय माननीय न्यायालय को करना है।

—: तनकीवार निर्णय :—

तनकी संख्या :— 01 आया वादग्रस्त आराजी ख0नं0 754 रकबा 0.72 हेक्टर खातेदार ख्वाजू पुत्र इलाहीबक्श द्वारा बक्शीशनामा दिनांक 07.03.2002 से वादिनी को बक्शीश कर कब्जा रूबरू गवाहन वादिनी को संभला दिया था :—

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। उक्त तनकी के समर्थन में वादीनी द्वारा स्वयं के बयानों में यह कथनर किया गया कि "जब ख्वाजू खां मरे तब उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष होगी, मरने के 2–3 साल पहले उन्होने जमीन बक्शीश कर दी थी। वक्त बक्शीश ख्वाजू खां अच्छे भले थे।" पीडब्ल्यू 2 नजीर के बयान से यह कथन किया कि "मैने कोई वसीयत नामा नहीं लिखा, बक्शीशनामा मैने नहीं लिखा, मेरे खयाल से वहां 2–4 आदमी ओर थे, उन्होने लिखा, मेने साइन किये। बक्शीशनामा किसने लिखा उसका नाम मुझे नहीं मालूम, ख्वाजू जी ने लिखवाया था उस वक्त वहां पर गांव वाले 2–4 आदमी थे।" पीडब्ल्यू–3 सत्तार मोहम्मद द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

अपने बयानों में यह कथन किया गया कि "प्र.– हिबा में क्या हुआ था ? उ.– हिबा में लिखा पढी हुई थी। प्र.– हिबा में और क्या क्या हुआ था ? उ.– हिबा में रशीदन को भूमि संभलाई थी। लिखा पढी हुई थी, जो लिखा उस पर कोई विवाद नहीं रहेगा, इस पर रशीदन का कब्जा रहेगा। हिबा की सारी कार्यवाही ख्वाजू के मकान पर हुई थी, लिखा पढी शाम के 4–5 बजे हुई थी।" इस प्रकार वादीनी द्वारा स्वयं के बयानात व अन्य गवाहान पीडब्ल्यू 2 नजीर, पीडब्ल्यू 3 सत्तार मोहम्मद के बयानों से यह बखूबी सिद्ध कर दिया गया है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 754 रकबा 0.72 हेक्टर खातेदार ख्वाजू पुत्र इलाहीबक्श द्वारा बक्शीशनामा दिनांक 07.03.2002 से वादिनी को बक्शीश कर कब्जा रूबरू गवाहन वादिनी को संभला दिया था। अतः उक्त तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– आया वादिनी बक्शीशनामा दिनांक 07.03.2002 के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित करवाने की अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादिनी मुस्लिम पर्सनल लॉ से शासित होने के कारण बक्शीश/हिबा के संबंध में आवश्यक शर्तें पूर्ण करने के बाद खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने की अधिकारी है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हिबा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनिमय के तुरंत किया गया संपत्ति का अंतरण है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है।

वादिनी द्वारा स्वयं के बयानों व पीडब्ल्यू 2 नजीर के बयानों से यह सिद्ध किया गया है कि पूर्व खातेदार द्वारा व रिश्तेदारों के समक्ष स्वयं की खातेदारी की आराजी ख0नं0 754 रकबा 0.72है0 वादिनी को बक्शीश की तथा वादिनी द्वारा उक्त बक्शीश स्वीकार कर कब्जा ले लिया गया। अतः उक्त तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– आया तथाकथित बक्शीशनामा फर्जी, कूटरचित होकर अनस्टाम्पित और अनरजिस्टर्ड होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, जिससे दावा मेनेन्टेनेबल नहीं है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किये गये, किसी भी गवाहान के बयान न्यायालय में दर्ज नहीं करवाये गये हैं। ना ही सक्षम न्यायालय द्वारा बक्शीशनामा के अवैध, फर्जी/कूटरचित होने की घोषणा करवाई गई है। दस्तावेज के अनरजिस्टर्ड/अनस्टाम्पित होने से साक्ष्य के ग्राह्य नहीं होने के संबंध में पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
सोंगेद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

है।

तनकी संख्या 04 :– आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 01 ता 6 के खाते एवं कब्जेकाश्त की होने से प्रतिवादी कम 01 ता 6 बहैसियत मालिक उपयोग–उपभोग करने के उत्तराधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। केवल मात्र खाते में नाम आ जाने से खातेदारी अधिकारों का सृजन नहीं हो जाता है। वादीनी द्वारा अपने बयानों एवं अन्य गवाहान के बयानों से यह बखूबी सिद्ध कर दिया गया है कि विवादित आराजी वादीनी के कब्जे काश्त में है। राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों से अधिकार अंतरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **Kalawati VS Board of Revenue & Allahabad (2022), B. Karunakar S/o B. Mallanna VS State of Andhra Pradesh & Andhra Pradesh (2023), Smt. Sawarni v. Smt. Inder Kaur and Faqruddin v. Tajuddin-** आदि मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि **"revenue entries do not create or extinguish title"**

इसके अतिरिक्त **Dhirendra Kumar Bhattacharya VS Naren Dutta & Calcutta (2011), SHYAM SUNDER VS STATE OF C.G. & Chhattisgarh (2014), Ramkumar Rajput VS Anita & Madhya Pradesh (2023)** आदि मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि **"entries in revenue records do not confer ownership or title to the property, They serve only a fiscal purpose, primarily for the collection of land revenue"**

तनकी नं0 1 व 2 वादिनी के पक्ष में निर्धारित की जा चुकी है अतः तनकी नं0 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 05 :– आया वास्तविक स्वामी एवं खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी नं0 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय होने से तनकी नं0 5 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्तानुसार हस्तगत प्रकरण में मस्लिम हिबा(उपहार) संबंधी प्रावधानों का उद्धरण किया जाना प्रासांगिक प्रतीत होता है जो निम्नानुसार है –

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा (उपहार)

परिचय:

- उपहार या हिबा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनिमय के तुरंत किया गया संपत्ति का अंतरण है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है।
- हिबा को निर्देशित करने वाले नियम कुरान, हदीस (पैगंबर मुहम्मद का आदेश) एवं इस्लामी विचारधारा के विभिन्न शाखाओं से लिये गए हैं।
- उपहार के सिद्धांत का आधार पैगंबर का यह कथन है, आपस में उपहारों का आदान–प्रदान करें ताकि मोहब्बत बढ़े
- हिबा या उपहार की परिभाषा कंज़ अल दाक़ीक में दी गई है।

वैध हिबा के लिये आवश्यक तत्त्वः

- दाता के द्वारा हिबा की घोषणाः

1. दानकर्त्ता को उपहार की स्पष्ट एवं सुस्पष्ट घोषणा करनी चाहिये।
2. संपत्ति के स्वामित्व को अंतरित करने का आशय स्पष्ट होना चाहिये तथा इसे दानकर्त्ता को सूचित करना चाहिये।

- आदाता (ग्रहणकर्त्ता) के द्वारा हिबा की स्वीकार्यताः

1. आदाता को दानकर्त्ता के जीवनकाल में ही उपहार स्वीकार करना होगा।
2. यदि आदाता अप्राप्तवय है या उपहार स्वीकार करने में असमर्थ है, तो उसका अभिभावक उसकी ओर से उपहार स्वीकार कर सकता है।

- कब्ज़े का परिदान

1. उपहार की प्रक्रिया पूरी करने के लिये कब्ज़े का वास्तविक या रचनात्मक परिदान होना चाहिये। दानकर्त्ता को स्वामित्व का त्याग करना चाहिये तथा आदाता को संपत्ति का स्वामित्त्व ग्रहण करना चाहिये।

अपेक्षित वस्तुएँ एवं प्रतिबंधः

- दाता की सक्षमताः

1. दानकर्त्ता स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिये तथा अप्राप्तवय नहीं होना चाहिये।
2. उसके पास संपत्ति अंतरित करने की विधिक क्षमता होनी चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
सोगाव जिला आ

- आदाता की सक्षमता:
  1. उपहार के आदाता को संपत्ति को धारण करने एवं उसका स्वामित्व बनाए रखने में सक्षम होना चाहिये।
  2. अप्राप्तवय एवं अस्वस्थ व्यक्ति अपने अभिभावकों के माध्यम से उपहार प्राप्त कर सकते हैं।
- संपत्ति के अस्तित्त्व में होने की बाध्यता:
  1. उपहार की विषय–वस्तु हिबा के समय अस्तित्त्व होनी चाहिये, भविष्य की संपत्ति हिबा के रूप में नहीं दी जा सकती।
- विधिक उद्देश्य:
  1. उपहार का उद्देश्य मुस्लिम विधि के अंतर्गत वैध होना चाहिये। कोई भी संपत्ति जो निषिद्ध (हराम) है, उसे उपहार के रूप में नहीं दिया जा सकता।

हिबा का प्रतिसंहरण:

- दानकर्त्ता द्वारा कब्ज़ा मिलने से पहले किसी भी समय उपहार को रद्द किया जा सकता है।
- निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, कब्ज़े के परिदान के बाद भी उपहार को रद्द किया जा सकता है :–
  1. जब उपहार पति द्वारा अपनी पत्नी को या पत्नी द्वारा अपने पति को दिया जाता है
  2. जब आदाता का दानकर्त्ता से निषिद्ध डिग्री के अंतर्गत संबंध होता है
  3. जब आदाता की मृत्यु हो जाती है
  4. जब दी गई वस्तु बिक्री, उपहार या अन्यथा द्वारा आदाता के कब्ज़े से बाहर हो जाती है
  5. जब दी गई वस्तु खो जाती है या नष्ट हो जाती है
  6. जब दी गई वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, वृद्धि का कारण चाहे जो भी हो
  7. जब दी गई वस्तु में इतना परिवर्तन हो जाता है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता, जैसे जब गेहूँ को पीसकर आटे में बदल दिया जाता है
  8. जब दानकर्ता को उपहार के बदले में कुछ प्राप्त होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अनेक मामलों में उक्त सिद्धातों को प्रतिपादित किया है–

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

- हफिजा बीबी बनाम शेख फरीद (2011)

  उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक मौखिक उपहार जो वैध उपहार की सभी तीन अनिवार्यताओं को पूरा करता है, उसे पूर्ण एवं अपरिवर्तनीय उपहार माना जाएगा।
- महबूब साहब बनाम सैय्यद इस्माइल (1995)

  उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत उपहार लिखित रूप में देना आवश्यक नहीं है, इसलिये इसे पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।
- अब्दुल रहीम बनाम अब्दुल जफर (2009)

  उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि किसी वैध उपहार के कारण उपहार में दी गई वस्तु आदाता के स्वामित्व से बाहर हो गई है, तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता।

निष्कर्षः

हिबा मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जो समुदाय के भीतर उदारता एवं समर्थन के सिद्धांतों पर ज़ोर देता है। इसके आवश्यक तत्त्वों एवं विधिक आवश्यकताओं को समझना दानकर्त्ताओं एवं आदाताओं दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपहार वैध और लागू करने योग्य है। हिबा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत इस्लामी न्यायशास्त्र के व्यापक मूल्यों को दर्शाते हैं, जो दयालुता एवं कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

हिबाकर्ता/बख्शीशकर्ता द्वारा बख्शीशनामे को रदद किया जाना भी प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है एवं बख्शीशनामे को रदद करने के संबंध में किसी भी गवाहान के बयान भी प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा नहीं कराये गये हैं। अतः वादीनी द्वारा हिबा/बख्शीशनामा के तीनों आवश्यक घटकों को सिद्ध कर पाने में सफल होने पर विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है।

–:आदेश :–

उपरोक्तानुसार बहस अंतिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का उनके गुणावगुण के आधार पर गहन अध्ययन, अवलोकन व मनन उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीनी द्वारा अपना वाद सिद्ध करने में सफल होने के कारण वाद वादीनी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

. ग्राम राजगढ़ तहसील सांगोद में खसरा नं. 784 की 0.72 हैक्टर भूमि पर रशीदन पत्नी हुसैन मोहम्मद को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 16/5/2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner